संख्या- २०५ /26-ब0प्र0-2014-28बजट/07

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ (समाज कल्याण) लखनऊः दिनांकः ०३ ~~फरवरी~~ मार्च, 2014

विषयः: वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कराये जाने हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पेयजल सुविधा हेतु प्रावधानित धनराशि ₹ 25.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 12.50 करोड़ (**₹ बारह करोड़ पचास लाख मात्र**) की धनराशि संलग्न जनपदवार फॉंट के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर उत्तर प्रदेश जल निगम के जिलास्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2012, दिनांक 28 मार्च, 2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय क्षेत्रों की हैण्डपम्पों की स्थापना/ रिबोर तथा रिबोरयोग्य नलकूपों के कार्यो पर किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एससीएसपी/टीएसपी हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31.03.2014 तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(6) विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्ते निर्धारित की गयी थी, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(7) धनराशि के उपयोग की सप्ताहवार समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। प्रत्येक माह की 02 व 03 तारीख तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) कोषागार से धनराशि आहरण से संबंधित व्यय-पत्र (वाउचर्स) की संख्या व दिनांक की सूचना को आहरण के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जाने ~~वाली~~ धनराशि का आहरण योजनान्तर्गत जनपदवार आवंटित परिव्यय की सीमा तक किया जाएगा। जनपद की जिला योजना में विभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा और यदि स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में जिला योजना के अधीन उभरकर आता है, तो उपलब्ध होने वाली परिव्यय की सीमा के अनुसार यथासमय स्वीकृतियाँ संशोधित की जायेगी।

2- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो एवं स्वीकृति प्रयोजन में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ***लेखाशीर्षक-"4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-जलपूर्ति- 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन-24-वृहत् निर्माण कार्य"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

संख्या-२०५ /26-ब0प्र0-2013-28बजट/07,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महालेखाकार (वर्क्स) अनुभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-18/94 दिनांक 26.02.2013 के प्रस्तर-2(9) की व्यवस्थानुसार जिलाधिकारियों को निर्गत धनराशि का सेन्ट्रल सर्वर से सम्बन्धित कोषागारों को आंवटित कराते हुए समस्त जिलाधिकारियों व शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
5- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी, अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/एनआईसी।
10- कम्प्यूटर सेल, कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/नगर विकास विभाग।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या- २०५ /26-ब0प्र0-2013-28बजट/07, दिनांक 03 ~~फरवरी~~ मार्च, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या-414/26ब0प्र0-2013-28बजट/2007 दिनांक 18.06.2013 द्वारा स्वीकृत धनराशि	शेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	22.55	0.00
2	मैनपुरी	21.96	0.00
3	मथुरा	10.97	33.47
4	फिरोजाबाद	17.30	3.13
5	अलीगढ़	17.55	32.82
6	हाथरस	43.01	0.00
7	एटा	5.43	7.66
8	कासगंज	6.40	18.99
9	झाँसी	18.37	5.03
10	ललितपुर	21.35	30.16
11	जालौन	54.03	0.00
12	हमीरपुर	37.51	29.81
13	महोबा	15.45	14.63
14	बांदा	32.02	0.00
15	चित्रकूट	16.40	0.00
16	लखनऊ	83.42	43.13
17	रायबरेली	0.00	13.84
18	हरदोई	0.00	0.80
19	उन्नाव	10.92	0.00
20	सीतापुर	0.00	130.12
21	लखीमपुर खीरी	9.70	0.91
22	बरेली	0.00	12.46
23	बदायूँ	8.61	3.05
24	पीलीभीत	8.56	4.88
25	शाहजहांपुर	4.57	5.07
26	मेरठ	11.72	6.04
27	बागपत	0.00	7.61
28	गाजियाबाद	7.45	5.95
29	हापुड़	4.82	8.28
30	गौतमबुद्धनगर	0.00	2.61
31	बुलन्दशहर	4.74	8.03
32	सहारनपुर	19.88	0.00
33	मुजफ्फरनगर	8.80	0.00
34	शामली	0.00	15.57
35	मुरादाबाद	11.95	10.54
36	सम्भल	4.83	6.00
37	अमरोहा	15.08	0.00
38	रामपुर	47.10	0.00
39	बिजनौर	29.40	66.78

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या-414/26ब0प्र0-2013-28बजट/2007 दिनांक 18.06.2013 द्वारा स्वीकृत धनराशि	शेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
40	वाराणसी	97.65	127.52
41	चन्दौली	9.58	0.00
42	गाजीपुर	47.61	48.24
43	जौनपुर	23.65	24.15
44	संत रविदासनगर	4.65	23.34
45	मिर्जापुर	0.00	47.89
46	सोनभद्र	28.88	0.00
47	गोरखपुर	18.49	0.00
48	महाराजगंज	2.71	0.00
49	देवरिया	2.84	2.10
50	कुशीनगर	5.10	3.75
51	बस्ती	0.00	5.17
52	संतकबीरनगर	7.99	0.00
53	सिद्धार्थनगर	5.51	7.54
54	आजमगढ़	0.00	76.92
55	मऊ	5.54	20.37
56	बलिया	4.26	6.75
57	इलाहाबाद	10.42	8.34
58	कौशाम्बी	6.77	8.02
59	फतेहपुर	5.22	27.94
60	प्रतापगढ़	13.98	19.38
61	कानपुर नगर	205.67	146.30
62	कानपुर देहात	0.00	15.50
63	फर्रुखाबाद	17.48	0.00
64	कन्नौज	5.79	0.00
65	औरैया	8.80	49.18
66	इटावा	8.64	8.76
67	फैजाबाद	6.63	3.97
68	अम्बेडकरनगर	0.75	0.90
69	सुल्तानपुर	0.00	4.19
70	अमेठी	58.72	0.00
71	बाराबंकी	0.00	19.38
72	गोण्डा	3.91	0.00
73	बलरामपुर	0.91	7.70
74	श्रावस्ती	0.00	4.83
75	बहराइच	0.00	4.50
	योग	**1250.00**	**1250.00**

(₹ बारह करोड़ पचास लाख मात्र)

(दीनानाथ)
अनु सचिव।